संख्या एफ 1-30/98-99 एन.सी.टी.ई. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सी - 2/10 सफदरजंग डक्लपमेन्ट एरिया श्री अरियन्दो मार्ग, नई दिल्ली - 110016

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000

संख्या फा. 1-30/2000 एनसीटीई — राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का संख्या 73) के खण्ड 14 और 15 के साथ पठित खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धारा (च) और (ज) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न को संशोधित करने के लिए ये विनियम बनाती है : (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 1995; (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा अथवा आमने-सामने अनुदेशन को छोड़कर, किसी अन्य पद्धति के माध्यम से जिसके फलस्वरूप बी.एड. की डिग्री या इसके समक्त्रा डिग्री प्रदान की जाती है, की पेशक्त्रा करने वाले अथवा इस आशय का इरादा रखने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करने तथा कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमित देने के लिए शर्तों का निर्धारण) विनियम, 1996; (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक, बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998, (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा को कार्यक्रमें-सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998; (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आमने-सामने शिक्षण के माध्यम से एम.एड. तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एम.एड. के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998:

- 2. इन विनियमों को (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जाएगा।
- 3. ये संशोधित विनियम, 2000 मीजूदा विनियमों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक संशोधित करते हैं:

1.	8, 24.2.95 राष्ट्रीय	अध्यापक विशा	to 7(m) am (n)	An 4(m) no (n)	
सञ्चा तथा ताराखा, आदिश संख्या तथा तारीख				पर इस <sub>्र</sub> क्त में पडित	
<b>क.</b> #.	गत्पत्र की अधिसूबनों : संख्या तथा तारिख,	विनियम	मौजूदा प्रविधान	संशोधित होने	

 8, 24.2.95
 राष्ट्रीय अध्यापक हिंसा
 <u>पैत 7 (ख) तथा (ग)</u>

 28-11/95
 परिषद् (मान्यता
 (ख) अध्यापक हिंसा

 पन सीटीई
 के लिप
 मैं किसी पाह पक्कम अख्या

<u>पैता 7(छ) तवा (ग)</u> (छ) अध्यापक विका में किती पाठ्यकम अध्या

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग भिर्वेत साइन्स, दिल्ली–54

रिनॉक 29.12.95 प्रार्वना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शतीं का निर्धारण और नए पाठ्यकम अख्वा प्रशिक्षण शुरू करने के अनुमति) विनियम, 1995 प्रशिक्षण की पेशकश का इच्छुक प्रत्येक संस्थान आगामी शैक्षणिक सत्र से पाठ्यकम अथवा प्रशिक्षण की शुरूआत करने के लिए प्रतिवर्ष 31िरसम्बर तक सम्बन्धित केनीय समिति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगा । प्रशिक्षण की पेक्षकश्च करने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक सम्बन्धित केनीय समिति को प्रार्थना पन्न प्रस्तुत कर देगा । लेकिन कर्त यह है कि जिन राज्यों में शैक्षणिक सन्न प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्ब होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सन्न से शुरू होने वाले पाठ्यकम अध्या प्रशिक्षण के लिए प्रार्थना पन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थानी द्वारा
अध्यापक शिक्षा में कोई नया
पाठ्यकम अध्या प्रशिक्षण शुरू करने के .
लिए अनुमति प्राप्त करने
के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट-1
में दिए गए फार्म में इस ढंग से
प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि
वह आगामी शैक्षणिक सत्र में
अध्यापक शिक्षा में शुरू किए जाने
के लिए प्रस्तावित पाठ्यकम अध्या
प्रशिक्षण के संबंध में संबंधित शैतीय
समिति के पास कैलेण्डर वर्ष के
31दिसम्बर से पहले पहुँच जाए।

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थानी द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पात्यक्रम् अध्वा प्रशिक्षण शुल करने अध्या प्रवेश विए जाने वाले धानों की संख्या में कृष्टि के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिश्चिट-1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तत किया जाएग जिससे कि वह प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक या उससे पहले केत्रीय समिति के पास पहुँच जाम । तथापि, शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शेशिक सम प्रतिवर्ध जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी वैक्षणिक सत्र में शुरू किए जाने बाले पाठ्यकम अध्वा प्रशिशण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रति वर्ष 30 जून होगी।

2. 14, 5.5.1997 28-9/96 एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषट् (पत्राचार शिक्षा अध्या मुक्त दूरस्य शिक्षा अध्या आमने-सामने अनुदेशन की छोड़कर, किसी अन्य पजित के माध्यम से जिसके फल-स्वरूप थी.एड. की डिग्री या इसके समकक डिग्री ग्रह्मा की जाती है, की पेश्नकश्च करने वाले अध्या इस आश्चय का इरावा रहने

पैरा 8(क) तथा (ख)
(क) अध्यापक शिक्षा में किसी
पाठ्यक्रम अध्या प्रशिक्षण की
पेश्रकक्ष करने बाला प्रत्येक संस्थान
एक प्रार्थना पत्र इस ढंग से तैयार
करेगा कि वह आगामी शैक्षणिक
सत्र के आरम्म होने वाले पाठ्यक्रम
अध्या प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिवर्ष
31दिसम्बर तक संबंधित शैतीय
समिति के पास पहुँच जाए ।

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिवल लाइन्स, दिल्ली-54

पैरा 8(क) तथा (ख)
(क) अध्यापक विक्षा में किसी
पाठ्यकम अध्वा प्रतिक्षण की
पेक्षक करने वाला प्रत्येक
संस्थान एक प्रार्थना पत्र इस ठैंग
से तैयार करेगा कि वह संबंधित
क्षेत्रीय समिति के पास प्रत्येक वर्ष
31दिसम्बर को अध्वा उससे पूर्व
पहुँच लाए । क्ष्ती यह है कि
जिन राज्यों के मामले में क्षिणिक
सन प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्म
हैता है, उनमें आगामी केलिक्क
सन प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्म

त्रकार कर्वत करू **बाले, संस्थानों को मान्यता** रक्त कराने तथा कोई नया विकास कि सम्बद्धाः में इस क्यांकि क तिमा राज्य मात्रकम् या प्रशिक्षण शुक्तः कि एक्ट्रीम क्रिक कार के समा हुए कारों की अनुमित देने के लेक महिला हुए हैं है है नियं कर्ती का निर्वारण) केल्पीर कर उस्ते हुई विनियम, 1996. । कर्ष ।क स्ट्राइ का मध्या

के जिल्ला मार्ग पहिंदुकम अथवा प्रशिक्षण के क्ष्मका कि क्षिप्रकार सबसे में प्रार्थना पैने सेने की मार्किन कि जिस् मुखानिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून । सिंह नद् पाइक्का अल्ला के निक कर । नार्वा अनुपद्गी विशिव्य, 1995

,ई होई । १९९१ है हैं इतुहर TO FEE EXTENS STATES END. 1500 1500 SIE 新 MI इतिशाल के लिए प्रतिता पन अर्थित अर्थित के निक स्थाप

वे क्षिण भारत किए उस

FM , 1405 | 319 1977 340

fame के किया हुई की ई an

THE PRINT WA AND A PROPERTY

1 的 6 以 使 产的农 ा कारता अस्य संस्थाने बाता BY ME E AND APPEAR My richte new marin the the paul mon fre 本中各种物面对 िल्ली के लिए होंगी 有流動草鄉亦明百 A SELECTION WAS DEED 界 155 167 6 311、 新加 26

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानी द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यकम् अथवा प्रशिक्षण श्रुरः करने अथवा प्रवेश रिए जाने वाले छन्नों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट-1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तुत कि कि पिक्या जारेगा जिससे कि वह आगामी त्रैक्षणिक सन्न में अध्यापक शिक्षा में शुरू किए, जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास कैलेण्डर वर्ष 并 持 市 市 के 31 दिसम्बर से पहले पहुँच जाए ।

I so which there of STEP IN A TAN DELL'S 1855年 PASS 11 7 英四日 7 市 otká ráliph tí sán á raight 多阿尔纳季中中各种的 · JAS SOO SOO & VALUE SOO!

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानी द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यकम् अथवा प्रशिक्षण श्रुरु करने अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छन्नों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट -1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तुत किया जायगा जिससे कि वह प्रतिवर्ष 31दिसम्बर तक या उससे पहले संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुँच जाए । शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू किए जाने वाले पाठ्यकम अधवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी।

PR BEFORE OF THE C ा(i) 12. क्षा का (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्(प्रारंभिकं शिक्षा स्नातक, 🚁 28-4/98-99 📠 🦏 ही एल एउ की मान्यता के क है। /प्रमुसीदीई कि के लिए मानरण्ड और शर्ते) दिनांक कि कि कि स्थितियम 1998 29.12.98

(ii) 12, (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा निर्धारित तारीख से कम से कम नार 20:3.99 प्रियद् (शारीरिक शिक्षा में महीने पहले संबंधित क्षेत्रीय समिति के 28-3/98-99 अध्यापक श्विमा कार्यक्रमी पास पहुँच जाए । एनसीटीई: क्षि.पी.एड., बी.पी.एड. ्रिनंक कार्य का कार्या एम.पी.एड..की मान्यता 29.12.98 तथा (iii) विनियम, 1998.

7, 13.2.99, "smeller 28-2/98-99 ं एन साटीई ा दिनांक ः

e 20:12.98

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक श्रिक्षा परिषद् 🕫 😘 😘 🌼 े (आमने-सामने शिक्षण के पाध्यम से एम.एड. तथा ट्रस्थ जिला के माध्यम

पैरा 8(क) तथा (ख) (क) अध्यापक शिक्षा में कोई पाव्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की पेशकश करने का इच्छ्क प्रत्येक संस्थान इस ढंग से प्रार्थना पत्र तैयार करेगा कि वह आगामी शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने की

पैरा 8(क) तथा (ख) (क) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यकम अववा प्रशिक्षण की पेशकश करने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान इस ढंग से प्रार्थना पत्र तैयार करेगा कि वह 31 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुँच जाए । शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में 2000年 8475 (新) W शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र में शुरू किए जाने कि है। है कि विकास स्ट्रिक्ट अवदा प्रशिक्षण के सबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रति वर्ष 30 जून

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भः रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

with a win to and a ray

से एम.एड. के लिए मानरड और किकिक्ट हारे पान नहतीह (ख) मान्यता प्राप्त संस्थानी श्रती) विनियम, 1998 को का का की

द्वारा अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की के लिए प्रार्थना पत्र आग्रामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने की निर्धारित तारीख से कम से चार महीने पहले संबंधित

क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत किए वाएँगे । जिल्हा कुल १८५ क्लांक्जी (中日) 所 (55 年) [54] HALL PRESS, ATTEST FIR 20 \$10.80 धार जिस्से हा स्थान्त्री

(छ) मान्यता प्राप्त संस्थानी द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यकम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या में ाक प्रश्ना विकास का को केंद्र कर का प्रश्ना के लेक्स का सामा संख्याओं मृखि की अनुमृति कि मृत्रु की अनुमृति के लिए सार्थना पत्र इस ढंग से प्रस्तुत किया वाएगा विससे कि वह प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक या उससे पहले संबंधित सेत्रीय समिति के पास पहुँच जाए । शर्त यह है कि विन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ **ंहीता हैं। उनमें आगामी शैक्षणिक** ्शमुत्र में शुक्त किए जाने वाले पाठ्यकम् अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की <sup>16</sup>अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 

विकास को दान स्वाप पर अप अपने कि विकास मार्थित अस्त्राकी

के महाक कार्य हैं कि माने

ात्रक व्यवस्था के कार्त के जिल्लाक न सम्बद्ध अवस्था अके (ए**एए, हे** ते **रॉप** )

अंग्रह स्थान स्थाप

सदस्य सचिव

जय नक ग्रहमें में अन्यापा अपीक्षत न मां उस एक इस विशेष्टाची वे

राहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

'रिसविल' लाईन्स, दिल्ली-54

is the tree "greetly क्षित्रक प्रोक्तिक प्रसान का स्थापन के हैं प्रशास के क्षा है।

specification of the second serious series of the second series

water latera 2000 est ant

इस्टिंग १६६

strates of the price of the transit of the con-

this four the animal other

cain ama for s

eads who must

is his social mests

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

C-2/10, Safdarjung Development Area, Sri Aurobindo Mara, New Delhi-110 016

New Delhi, the 18th September, 2000

No.F.1-30/2000 NCTE - In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No.73, 1993), the National Council for Teacher Education hereby (i) the NCTE (application for makes the following Regulations to amend recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995 (ii) the NCTE (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996 (iii) the NCTE (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education B.El.Ed.) Regulations, 1998 (iv) the NCTE (Norms and conditions for recognition of teacher education Programme in Physical Education - C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) Regulations, 1998 (v) the NCTE (Norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998

2. These Regulations may be called the NCTE (time limit for submission of application for recognition) (Amendment) Regulations, 2000.

3. These Amendment Regulations, 2000 modify the existing Regulations to the

extent indicated against each of them:-

51.No.	Gazette Notification No. & date, order no. & date	Regulations	Existing provision	Modified to be read as
1.	8, 24.2.96, 28-11/95 NCTE dt.29.12.95	The NCTE (application for recognition the manner	Para 7 (b) & (c) (b) Every institution intending to offer a course or training in teacher education	intending to offer a course or training

भिर्मकार पुराहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिवेल लाइन्स, दिल्ली–54

for submission determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training)
Regulations, 1995

make an shall application so as to reach the concerned Committee Regional by the 31st December for year every of commencement training COURSE or next from the academic session

shall education make an application so as to reach the concerned Regional on or Committee 314 before December every Provided year. that in the case of where States session academic from begins January every year the last date for of submission would application be 30th June of every year for the course or training commencing in the academic next session.

(c) Application for permission to start any new course or training in teacher education by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix -I so as to reach the Regional Committee concerned 31st before the December of calendar year for the course or training in education teacher to proposed

(c)Application for permission to start any new course or training in teacher education increase in intake recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I so as to reach the concerned Regional Committee on or 315 before, December every Provided year. that in the case of

4-309 GI/2000

भारतीया भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिवल लाइन्स, दिल्ली-54

			Marketti, etc. 1981 in terminal etc.	gt et minimum production
	et games gar		offered in the next	States where
	Ryfie		academic year.	academic session
				begins from
				January every year
			5 1 5 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	the last date for
				submission of
			read the fire the	application would
				be 30 <sup>th</sup> June of
	· ·			
	,			every year for the
			7 db. xi 1	course or training
				commencing in the
				next academic
	*.			session.
12.		The NCTE	Dana 9 (a) 4 (b)	Para 8 (a) & (b)
2.	14,			
	5.5.1997,	(determination)		
	28-9/96	of conditions		
	NCTE	for	course or training in	
	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	teacher education	
		institutions	shall make an	
		offering or	application so as to	
	1.5.4.5	intending to	reach the concerned	so as to reach the
		offer through	Regional Committee	concerned Regional
			by the 31st December	
	7 - 1° 1 - 1	e education or		before 31st
17	* 12"	distance	commencement of	
	* 4	education	course or training	
		including open	a la	
	jam da fij	distance	academic session.	States where
			academic sessivii.	academic session
	·	education, or		
		any mode		1 - 3
		other than	, in the second	January every year
		face to face		the last date for
		instruction for		submission of
		any course		application would
	. *	leading to		be 30th June of
		B.Ed. degree		every year for the

ाहायक नियनक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग भिवल लाइन्स, दिल्ली–54 or its
equivalent and
permission to
start any new
course or
training)
Regulations
1996

(b) Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase intake by in recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I so as to reach the Regional Committee concerned before 31st December of the calendar year for the course or training in teacher education proposed to be offered in the next academic year.

will said to

course or training commencing in the next academic session.

(b)Application permission to start any new course or training in teacher education increase in intake by recognised institutions be submitted in the form in Appendix-I so as to reach the concerned Regional Committee 315 before December every year. Provided that in the case of States where academic session from begins January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the academic next session.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

phetor

3.

(i)12, 20.3.99, 28-4/98-99/NCTE dt.29.12.98 (ii)12, · 20.3.99, 28-3/98-99/NCTE dt.29.12.98 and (iii) 7, 13.2.99. 38-2/98-99/NCTE dt.29.12.98

(i) the NCTE (norms and conditions for recognition of Bachelor Elementary Education B.El.Ed.) Regulations, 1998 (ii) the NCTE (Norms and conditions for recognition of teacher education Programme in Physical Education C.P.Ed., B.P.Ed. M.P.Ed.) and Regulations; 1998 and (iii) the NCTE (Norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998

Para 8 (a) & (b) (a)Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee at least four months before the scheduled date of. commencement next academic session.

(b)Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase intake by. recognised institution shall be submitted so to reach the Regional Committee

Para 8 (a) & (b) (a) Every institution intending to offer a course or training teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee before 314 December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the \* academic next session.

(b)Application permission to start any new course or training in teacher education QF increase in intake recognised by institutions shall be submitted so as to reach the

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

		concerned at least four months before the scheduled ate of commencement of next academic session.	Committee on or before 31st December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the next academic
	100		session.

4. These modifications shall come into force with immediate effect.

(S.K.RAY)
Member Secretary

ploubil

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली—54